राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्याः- 1552/2023

बीरबल प्रजापत

-अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

-प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.06.2023

आदेश की दिनांक : 19.06.2023

उपस्थिति :–

अपीलार्थिया की ओर सेः श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्षः- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 तथा कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2023 को चुनौती दी है। स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन भू अभिलेख निरीक्षक तहसील कार्यालय लाडनू नागौर से भू अभिलेख निरीक्षक तरसील सूजानगढ़ चूरू के पद पर किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी को उक्त आदेश दिनांक 14.01.2023 के अनुसरण में दिनांक 09.06.2023 को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पूर्व में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, घिरडोदा मीठा, तहसील लाडनू में कार्यरत था। भू अभिलेख निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के पश्चात दिनांक 30.09.2021 को अपीलार्थी का पदस्थापन ऑफिस कानूनगो, तहसील लाडनू में किया गया है। इसके पश्चात अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 25.11.2022 के द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक वृत भरनावां तहसील लाडनूं किया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 01.12.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक मण्डल भरनावा के पद पर कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 को द्वारा अल्प समय में ही कर दिया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पिछली तारिख में दर्शाते हुए किया गया है, जो स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागू होने के बाद किया गया है।
2. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापित स्थान तहसील लाडनू पर दिनांक 25.11.2022 के आदेश द्वारा स्थानांतरण हुआ था। यहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 01.12.2022 को

कार्यग्रहण कर लिया था। इस स्थान से अपीलार्थी को दिनांक 09.06.2023 को कार्यमुक्त किया गया है। अर्थात् अपीलार्थी वर्तमान पद पर 6 माह से अधिक समय से कार्यरत है। इसके अलावा अपीलार्थी लाडनू तहसील में 2009 से कार्यरत है। यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण अल्पसमय में किया गया हो। ऐसा कोई प्रथम दृष्टया तथ्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पिछली तारीख में किया गया हो। आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.01.2023 को जारी हुआ है एवं स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध दिनांक 15.01.2023 को लागू हुआ था। ऐसे में स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध होने के पूर्व ही स्थानान्तरण आदेश जारी हो चुका था। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि स्थानान्तरण प्रतिबन्ध अवधि में किया गया हो।

3. उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस अपील में हम कोई बल नहीं पाते है।अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)